राज्य/जिला/प्रखण्ड किसान सलाहकार समिति के गठन एवं दायित्व संबंधी अनुदेश

1. **परिचय** – नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के तहत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन अंतर्गत सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्म्स (आत्मा योजना) के कार्यान्वयन हेतु कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सितम्बर 2014 में कार्यान्वयन अनुदेश निर्गत किया गया है जिसके कंडिका –8 के अनुसूची I (f) में राज्य/जिला/ प्रखंड स्तर पर किसान सलाहकार समितियों एवं इसके अनुसूची 1(e) में प्रखंड तकनीकी दल के गठन के लिए अनुदेश निर्गत किया गया है। पूर्व में प्रखंड स्तर पर किसान सूचना एवं सलाहकार केन्द्र (FIAC) गठित थी जिसका नाम बदलकर प्रखंड किसान सलाहकार समिति कर दिया गया है। इसी प्रकार से जिला स्तर पर जिला किसान सलाहकार समिति तथा राज्य स्तर पर राज्य किसान सलाहकार समिति का गठन किया जाना है।
2. **समितियों के गठन का उद्देश्य** – इन समितियों के गठन का प्रमुख उद्देश्य किसानों की भागीदारी से दूसरी सेवाओं एवं विकास की गतिविधियों को छोड़कर अन्य प्रमुख प्रसार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रबंधन एवं संगठनात्मक सलाहकार के रूप में कार्य करना है। कृषि एवं कृषि के सम्बद्ध विभागों के लिए किसानों के परामर्श से विस्तृत कार्ययोजना तैयार करना तथा उनसे फीडबैक प्राप्त कर आने वाली कठिनाइयों को दूर करना समितियों के गठन का प्रमुख उद्देश्य है। साथ हीं साथ यह कृषि की आधुनिक तकनीकी को किसानों के बीच प्रचारित करेगी।

3. प्रखंड किसान सलाहकार समिति का गठन –

3.1. समिति की संरचना

क्र0 सं0	समिति के सदस्यों का विवरण	सदस्य का पेशा	सदस्यों की सं0	सदस्य का प्रकार
1.	चयन समिति द्वारा गैर सरकारी सदस्यों से चयनित किसान	किसान	–	अध्यक्ष
2.	प्रगतिशील किसान (सामान्य श्रेणी)	कृषि	01	सदस्य
3.	प्रगतिशील किसान (अनुसूचित जाति/ जनजाति)	कृषि	01	सदस्य
4.	प्रगतिशील महिला किसान	कृषि	02	सदस्य

318

5.	प्रगतिशील किसान (सामान्य श्रेणी)	उद्यान	01	सदस्य
6.	प्रगतिशील किसान (अनुसूचित जाति / जनजाति)	उद्यान	01	सदस्य
7.	प्रगतिशील महिला किसान	उद्यान	02	सदस्य
8.	प्रगतिशील किसान (सामान्य श्रेणी)	पशुपालन	01	सदस्य
9.	प्रगतिशील किसान (अनुसूचित जाति / जनजाति)	पशुपालन	01	सदस्य
10.	प्रगतिशील महिला किसान	पशुपालन	02	सदस्य
11.	खाद्य सुरक्षा समूह (महिला) / महिला मंडल / महिला समूह (सामान्य श्रेणी)	कृषि / उद्यान / पशुपालन / मत्स्यपालन / डेयरी	01	सदस्य
12.	खाद्य सुरक्षा समूह (महिला) / महिला मंडल / महिला समूह (अनुसूचित जाति / जनजाति)	कृषि / उद्यान / पशुपालन / मत्स्यपालन / डेयरी	01	सदस्य
13.	स्वयं सहायता समूह / किसान क्लब / किसान उत्पादक समूह / किसान समूह (सभी पुरूष)	तथैव	02	सदस्य
14.	कृषक हित समूह	कृषि / पशुपालन / मत्स्यपालन / डेयरी	01	सदस्य
15.	अनुज्ञप्ति प्राप्त उपादान बिक्रेता	बीज / खाद / कीटनाशी / कृषि यंत्र	02	सदस्य
16.	प्रखंड कृषि पदाधिकारी	नौकरी	01	सदस्य सचिव
		कुल	**20**	

3.2. समिति के अध्यक्ष एवं गैर सरकारी सदस्यों के चयन/मनोनयन की प्रक्रिया–

3.2.1. चयन/मनोनयन हेतु चयन समिति का गठन –

क्र0सं0	सदस्य का विवरण	सदस्य का प्रकार
1.	जिला कृषि पदाधिकारी	अध्यक्ष
2.	सहायक निदेशक, उद्यान	सदस्य
3.	जिला पशुपालन पदाधिकारी	सदस्य
4.	जिला मत्स्य पदाधिकारी	सदस्य
5.	कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र	सदस्य
6.	जिला गव्य विकास पदाधिकारी	सदस्य
7.	परियोजना निदेशक, आत्मा	सदस्य सचिव

II. चयन समिति द्वारा गैर सरकारी सदस्यों का चयन तथा गैर सरकारी सदस्यों (उपादान बिक्रेता छोड़कर) के बीच से अध्यक्ष का चयन किया जाएगा।

III. चयन समिति के अध्यक्ष के अनुमोदनोपरांत परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा प्रखंड किसान सलाहकार समिति के गठन से संबंधित सूचना निर्गत की जाएगी तथा सभी संबंधितों को सूचित किया जाएगा।

3.2.2. प्रखंड किसान सलाहकार समितियों के सदस्यों/अध्यक्षों के चयन हेतु आवेदन देने के लिए निर्धारित शर्तें–

किसान (उपादान बिक्रेता छोड़कर) को अपने संबंधित प्रक्षेत्र/कोटि के लिए निम्नलिखित में से कम से कम कोई एक शर्त्त का पालन करना अनिवार्य होगा –

- किसान आत्मा अंतर्गत कृषक हित समूह अथवा खाद्य सुरक्षा समूह/पैक्स/नाबार्ड द्वारा निबंधित किसान क्लब का सदस्य हों।
- किसान अपने प्रक्षेत्र (कृषि/ उद्यान/ पशुपालन/ मत्स्पालन/गव्य विकास) में कार्य करता हो।
- किसान ने अपने प्रक्षेत्र (कृषि/उद्यान/पशुपालन/मत्स्यपालन/गव्य विकास) में सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
- किसान ने अपने प्रक्षेत्र में तकनीकी जानकारी हेतु आत्मा अथवा सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान से राज्य के बाहर/अंदर परिभ्रमण किया हो।
- किसान ने अपने खेतों अथवा बटाई/पट्टे/लीज पर लिए गए खेतों के मिट्टी की स्वास्थ्य जाँच कराया हो।